कार्यालय नगरपालिका परिषद, विकासनगर (देहरादून)
विज्ञापन ठेका नीलामी की शर्ते

क– तकनीकी विड की शर्ते–

1– यह कि निविदादाता/विज्ञापन एजेन्सी को धरोहर धनराशि एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/बैंकर्स चैक या अन्य सावधी जमा दस्तावेज अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, विकासगर के पदनाम से बन्धक कर निविदा प्रपत्र विक्रय के समय उपलब्ध कराने होगें।

2– यह कि निविदादाता/विज्ञापन एजेन्सी को निविदा क्रय करते समय पालिका देयकों सम्बन्धी अदेयता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा अन्यथा जिस विज्ञापन एजेन्सी के उपर पालिका का बकाया विज्ञापन शुल्क हो उसे निविदा प्रपत्र नही दिया जायेगा।

3– यह कि निविदादाता को मान्यता प्राप्त विज्ञापन एजेन्सी का प्रमाण पत्र एवं आई0डी0/निवास का पता प्रूफ के रूप में आधार कार्ड/मतद ाता पहचान पत्र/ड्राईविगं लाईसेन्स आदि की स्वप्रमाणित प्रतियॉ निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

4– यह कि निविदादाता/विज्ञापन एजेन्सी को वाणिज्यकर विभाग में जी0एस0टी0 पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5– यह कि निविदादाता/विज्ञापन एजेन्सी को विगत 03 वर्ष (वर्ष 2023–24) से पूर्व के आयकर रिर्टन एवं आयकर पैनकार्ड की स्वप्रमाणित प्रतियॉ देनी होगी।

6– यह कि निविदादाता/विज्ञापन एजेन्सी को विगत 01 वर्ष का कम से कम रू0 03 करोड़ का टर्नओवर सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्सशीट सहित देना होगा।

7– यह कि निविदादाता/विज्ञापन एजेन्सी को रू0 10 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित इस आशय का शपथपत्र देना होगा कि वह केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के किसी विभाग, उपक्रम एवं निकाय द्वारा ब्लैक लिस्टेड नही है।

8– यह कि निविदादाता/विज्ञापन एजेन्सी को रू0 100 के स्टाम्प पेपर पर रू0 1.00 का रसीदी टिकट लगाकर निविदा की वैधता हेतु देना होगा।

9– यह कि निविदादाता/विज्ञापन एजेन्सी के स्वामी/प्रोपराईटर अथवा निविदा/अनुबन्ध हेतु अधिकृत व्यक्ति के 3 नमूने हस्ताक्षर (हिन्दी/अग्रेजी) में किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर देने होगें।

10– यह कि निविदादाता को इस आशय का नोटराईज्ड शपथ पत्र देना होगा कि वह किसी देहरादून जिले के किसी विभाग में डिफाल्टर एवं देनदार नहीं हैं।

11– यह कि निविदादाता का "विज्ञापन नियन्त्रण एवं शुल्क वसूली उपविधि–2017" अनुसार नगर पालिका परिषद विकासनगर में विज्ञापन ठेकेदार में पंजीकरण/रिन्यू निविदा क्रय करनें की तिथि तक 03 वर्ष का होनें पर ही पात्र माने जाएगें।

ख– विज्ञापन का अधिकार ठेका सम्बन्धी सामान्य शर्ते

1– यह कि निविदादाता/विज्ञापन एजेन्सी को "विज्ञापन नियन्त्रण एवं शुल्क वसूली उपविधि–2017" के अन्तर्गत विज्ञापन की संरचना निर्धारित स्थान पर लगाते हुए विज्ञापन शुल्क की धनराशि नियत अवधि में जमा करनी होगी तथा उक्त नियमावली के सभी प्राविधानों के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित करने होगें।

2– यह कि निविदादाता/विज्ञापन एजेन्सी में यदि कोई पार्टनरशिप हो तो पंजीकृत पार्टनरशिप डीड एवं पावर ऑफ अर्टानी निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

3– यह कि निविदा में किसी प्रकार की ओवर राईटिगं/कटिंग होने पर निविदाये मान्य नही होगी।

4– यह कि निविदादाता/विज्ञापन एजेन्सी द्वारा निविदा के माध्यम से दी गयी उच्चतम लागत की निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी अथवा निकाय को होगा।

Scanned with OKEN Scanner

यह कि निविदादाता/विज्ञापन एजेन्सी को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के समस्त करों (आयकर/जी0एस0टी0) का भुगतान नियमानुसार स्वयं करना होगा।

6– यह कि उच्चतम निविदादाता/विज्ञापन एजेन्सी को विज्ञापन ठेका (स्वागत द्वार/गैन्ट्री, यूनीपोल/होर्डिग्स एवं पोल कियोक्स) स्वीकृत होने के एक सप्ताह के अन्दर निबन्धक विभाग द्वारा निर्धारित स्टाम्प पेपर प्रस्तुत कर अनुबन्ध करना आवश्यक होगा।

7– यह कि उच्चतम निविदादाता/विज्ञापन एजेन्सी को अनुबन्ध होने के उपरान्त विज्ञापन ठेके की शर्तो के अनुसार स्वागत द्वार/गैन्ट्री एवं यूनीपोल/होर्डिग्स के स्ट्रक्चर की संरचना लगाने एवं उस पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का अधिकार कार्यादेश जारी होने पर करना होगा।

8– यह कि बाड, वर्षा अथवा दैवीय आपदा आदि की स्थिति में विज्ञापन की संरचना/स्ट्रक्चर से यदि किसी प्रकार की क्षति या जनहानि होती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी विज्ञापन एजेन्सी की होगी, जिसका भुगतान विज्ञापन एजेन्सी द्वारा ही किया जायेगा।

9– यह कि विज्ञापन ठेके के अनुबन्ध एवं विज्ञापन उपविधि–2017 के अनुसार स्वीकृत विज्ञापन शुल्क की स्वीकृत धनराशि 15 अप्रैल तक पूर्णतः अग्रिम (100 प्रतिशत) जमा करनी होगी अन्यथा विलम्ब होने पर प्रतिमाह 10 प्रतिशत विलम्ब शुल्क लगेगा या एक माह तक विज्ञापन शुल्क जमा न होने पर विज्ञापन एजेन्सी का ठेका निरस्त करते हुए विज्ञापन शुल्क की वसूली विलम्ब शुल्क 10 प्रतिशत सहित भू–राजस्व के रूप में विज्ञापन एजेन्सी से वसूल किया जायेगा।

10– यह कि विज्ञापन शुल्क ठेके की स्वीकृत धनराशि बैक ड्राफ्ट या नगद ही स्वीकार की जायेगी।

11– यह कि विज्ञापन एजेन्सी का विज्ञापन ठेका यदि विज्ञापन नियमावली–2017 एवं विज्ञापन शुल्क की धनराशि जमा न करने पर निरस्त किया जाता है तथा विज्ञापन ठेके की पुनः नीलामी में लागत कम आती है तो ऐसी स्थिति में राजस्व की हानि होने पर उतनी धनराशि की वसूली भू–राजस्व के रूप में विज्ञापन एजेन्सी से की जायेगी।

12– यह कि विज्ञापन ठेका (स्वागत द्वार/गैन्ट्री, यूनीपोल/होर्डिग्स एवं पोल कियोक्स) हेतु विज्ञापन शुल्क **"विज्ञापन नियन्त्रण एवं शुल्क वसूली उपविधि–2017"** के अन्तर्गत स्वीकृत दर के अनुसार प्रतिवर्ष हेतु निर्धारित की गयी है, जिस पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए वार्षिक डिमांड कायम की जायेगी।

13– यह कि विज्ञापन ठेका (स्वागत द्वार/गैन्ट्री, यूनीपोल/होर्डिग्स एवं पोल कियोक्स) की अवधि, स्थान, विज्ञापन शुल्क की प्रतिवर्ष सुरक्षित धनराशि एवं विज्ञापन संरचना का आकार आदि का विवरण निम्नवत् है।

क्र0	स्थल का नाम, विज्ञापन का प्रकार/आकर	सं0	धरोहर धनराशि	प्रति वर्ष हेतु आरक्षित धनराशि	विज्ञापन ठेके की अवधि
1	पालिका सीमा के दक्षिण में हैरिटेज के समीप, उत्तर में रसूलपुर निकट पैट्रोल पम्प एन0एच0–507 में स्थित स्वागत द्वारो की शिफ्टिगं कर लगाने व विज्ञापन का अधिकार। (आकार 55X8फिट)	02	50000.00	200000.00	आगामी 05 वर्ष हेतु
2	डाकपत्थर रोड पर ढकरानी छोटी नहर के समीप स्वागत द्वार लगाने एवं विज्ञापन का अधिकार। (आकार 40X8फिट)	01	30000.00	100000.00	आगामी 05 वर्ष हेतु
3	पालिका सीमा में लैहमन पुलिया से चुगी तक डाकपत्थर रोड, बाईपास रोड बरोटीवाला एवं ढकरानी छोटी नहर बाईपास में यूनीपोल/होर्डिग्स लगाने अथवा विज्ञापन का अधिकार। (आकार 20X10फिट)	08	50000.00	160000.00	आगामी 02 वर्ष हेतु

Scanned with OKEN Scanner

यह कि निम्नलिखित क्षेत्रों में विज्ञापन पट्ट लगाना प्रतिबन्धित होगा।

1– धार्मिक स्थल।

2– नगरपालिका परिषद विकासनगर के आस–पास।

15– यह कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रतिबन्धित उत्पादनों जैसेः– शराब, तम्बाखू, धुम्रपान एवं अश्लील, जातिसूचक, धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित करने वाले, पशु क्रूरता, हिंसात्मक, विध्वसंक उत्पाद, हथियारों से सम्बन्धित उत्पाद सम्बन्धी विज्ञापनों का प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

16– यह कि विज्ञापन एजेन्सी द्वारा स्वीकृत विज्ञापन ठेके के अनुबन्ध के इत्तर कोई भी विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है तो उसे अवैध मानते हुए तत्काल ध्वस्त करते हुए विज्ञापन के ठेके को निरस्त किया जा सकता है।

17– यह कि जनहित अथवां यातायात की दृष्टि से प्रशासन/शासन अथवा पालिका द्वारा दिये गये निर्देशों का शत–प्रतिशत पालन करना होगा, यदि यातायात में किसी विज्ञापन पट्ट से अवरोध उत्पन्न होता है तो ऐसे विज्ञापन पट्ट को प्रशासन/पालिका प्रशासन द्वारा हटा दिया जायेगा, जिसका कोई प्रतिकर विज्ञापन एजेन्सी को नही दिया जायेगा।

18– यह कि यूनियन रोड कॉग्रेस द्वारा रोड साईन (आई0आर0सी0) 67–2001 में निर्धारित कलरो/मानको का प्रयोग ही विज्ञापन पट्टो के लिए अनुमन्य होगा, विज्ञापन पट्टो में प्रयोग किया जाने वाला रंग एवं कास्ट साईज ऑफिसियल ट्रैफिक साईन के समान एवं वाहन चालकों को भ्रमित करने वाले नही होगें।

19– यह कि विज्ञापन एजेन्सी को प्रत्येक विज्ञापन पट्ट पर स्वच्छ भारत का लोगो, स्वच्छ एवं सुन्दर विकासनगर का स्लोगन प्रदर्शित करना होगा तथा मुख्य राष्ट्रीय पर्व/त्यौहारों में नगरपालिका की ओर से शुभकामना सम्बन्धी विज्ञापन निशुल्क लगाने होगें।

20– यह कि विज्ञापन एजेन्सी को स्वागत द्वार/गैन्ट्री एवं यूनीपोल/होर्डिग्स के स्ट्रक्चर की संरचना तकनीकी रूप से मानको के अन्तर्गत होने का प्रमाण पत्र स्ट्रक्चर इन्जीनियर से प्राप्त कर नगरपालिका परिषद विकासनगर को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।

21– यह कि विज्ञापन के ठेके की अवधि बढाने हेतु यदि विज्ञापन एजेन्सी द्वारा अनुरोध किया जाता है तो तत्समय मार्केट का आकंलन करते हुए निकाय की अनुमति से विज्ञापन शुल्क की धनराशि में वृद्धि करते हुए बढायी जा सकती है।

22– यह कि विज्ञापन ठेका अवधि समाप्त होने के उपरान्त स्वागत द्वार/गैन्ट्री एवं यूनीपोल/होर्डिग्स के स्ट्रक्चर की संरचना विज्ञापन एजेन्सी द्वारा नगरपालिका परिषद विकासनगर को हस्तगत करानी होगी।

23– यह कि विज्ञापन एजेन्सी द्वारा विज्ञापन नियन्त्रण एवं शुल्क वसूली उपविधि–2017 एवं उपरोक्त निविदा शर्तो में किन्ही या समस्त शर्तो का उल्लघन किया जाता है, तो तत्काल प्रभाव से ठेका निरस्त करते हुए विज्ञापन एजेन्सी के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

24– यह कि विज्ञापन एजेन्सी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग आदि विभागो से अनापत्ति स्वयं प्राप्त करनी होगी, विवाद होने अथवा हटाये जाने की स्थिति में पालिका द्वारा कोई भी धन आपूर्ति या क्षतिपूर्ति नही की जायेगी।

25– यह कि विज्ञापन ठेका के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय निकाय का होगा तथा न्यायायिक मामलों में न्याय क्षेत्र जनपद–देहरादून रहेगा।

अधिशासी अधिकारी

निविदादाता का नाम....................

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नगरपालिका परिषद, विकासनगर (देहरादून)
विज्ञापन ठेका नीलामी हेतु पूरक शर्ते

क– तकनीकी विड की शर्ते–

1– **यह कि निविदादाता/विज्ञापन एजेन्सी को विज्ञापन क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के किसी सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा।**

ख– विज्ञापन का अधिकार ठेका सम्बन्धी सामान्य शर्ते

1– यह कि निविदादाता विज्ञापन एजेन्सी को तकनीकी विड एवं वित्तीय विड के लिए पृथक–पृथक से लिफाफे सीलबन्द कर एक बडे लिफाफे में भी सीलबन्द कर टेण्डर बॉक्स में डालने होगें तथा तकनीकी विड के लिफाफे के उपर तकनीकी विड एवं वित्तीय विड के लिफाफे के उपर वित्तीय विड अंकित करना अनिवार्य होगा।

2– यह कि निविदा खोलने की तिथि व समय पर निविदा समिति द्वारा मुख्य लिफाफो को खोलने के बाद सर्वप्रथम तकनीकी विड के लिफाफे खोले जायेगें। तद्परान्त तकनीकी विड में प्राप्त अभिलेखों का परीक्षण/मुल्यॉकन किये जाने के पश्चात तकनीकी विड में सफल निविदादाताओं की वित्तीय विड उसी दिन अथवा अन्य निर्धारित तिथि एवं समय में निविदा समिति द्वारा खोले जायेगें, जो निविदादाता तकनीकी विड में असफल रहते है उनकी वित्तीय विड नही खोली जायेगी।

3– यह कि नगरपालिका बेवसाईट में अपलोड तकनीकी विड की शर्त सं0–1 से 9 एवं विज्ञापन का अधिकार ठेका सम्बन्धी सामान्य शर्ते सं0–1 से 24 तक यथावत् लागू रहेगी।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद, विकासनगर

Scanned with OKEN Scanner